संख्या-219/2018/1001/तेईस-14-18-48जनरल/17

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 10 अक्टूबर, 2018**

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत जिला योजना (पुनर्निर्माण कार्यों) में स्वीकृत 03 पुनर्निर्माण कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4925बी.जी./7बी-जिला योजना (पुनर्निर्माण) चालू कार्य/2018-19, दिनांक 16.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1338-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गो/लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण/जीर्णोद्वार/उच्चीकरण के चालू कार्यों हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद-मथुरा एवं गाजियाबाद की जिला योजना वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की कुल 03 पुनर्निर्माण की परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-6 में अंकित कुल लागत रू0 156.02 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-9 में उल्लिखित कुल धनराशि रू0 1,00,95,000.00 (रू0 एक करोड पच्चानवे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अव[redacted] जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

Ø0 l0	[k.M dk uke	dk; dk uke	'kkklukn'k l[;k	yEckb fd0eh0 e	Lohdr ykxr	31-3-18 rd vkoVu@ 0;;	01-04-18 dk vo'k"k	foRrh; o"k 2018&19 e vkoVu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ik0[k0 eFkjk	jk/kk d.M l dkUgh l lEid ekx dk iu fuek.kA	490@2016@50vk 0ft0;k0½2½@rbl &14&2016&50vk0 @16] fnukd 16-12-2016	4.00	68.30	16.23	52.07	42.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	fu0[k0&2 xkft;kckn	elj̄h lEidZ ekxZ d iu̇ fuek.k dk dk;A	444@2016@52vk 0ft0;k0¼2½@rbl &14&2016&52vk0 @16] fnukd 03-12-2016	0.65	34.35	6.54	27.81	22.80
3	fu0[k0&2 xkft;kckn	ejknuxj l tykyij ekxZ d iu̇ fuek.k dk dk;A	444@2016@52vk 0ft0;k0¼2½@rbl &14&2016&52vk0 @16] fnukd 03-12-2016	2.50	53.37	10.14	43.23	35.45
			;kx	**7.15**	**156.02**	**32.91**	**123.11**	**100.95**

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृत प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

3- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य पी0एम0जी0 एस0वाई0 के मानकों से आच्छादित नहीं है, पूर्व में किसी सम्पर्क मार्ग से जुडे नहीं हैं, तथा प्रस्तावित सभी मार्ग सिंगल कनेक्टिविटी के है।

4- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्माण के उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित सूची में अंकित 03 चालू कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय।

2- प्रश्नगत कार्यो पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1338-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गो/लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्वार/उच्चीकरण के चालू कार्यों हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- उपर्युक्त रू0 1,00,95,000.00 (रू0 एक करोड पच्चानवे हजार मात्र) की स्वीकृति जनपद-मथुरा एवं गाजियाबाद के उल्लिखित 03 कार्यो के लिए दी जा रही है।

भवदीया,

(प्रीति शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या-219/2018/1001(1)/23-14-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, संबंधित मण्डल।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
9- बेव अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in